



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-25092025-266376

CG-DL-W-25092025-266376

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 09] नई दिल्ली, सितम्बर 14—सितम्बर 20, 2025, शनिवार/भाद्र 23—भाद्र 29, 1947
No. 09] NEW DELHI, SEPTEMBER 14—SEPTEMBER 20, 2025, SATURDAY/BHADRA 23—BHADRA 29, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2025

आ.अ. 24.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग मणिपुर राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा श्री शैलेश कुमार चौरसिया, आई. ए. एस. (एम एन :2007) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए मणिपुर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री शैलेश कुमार चौरसिया, मणिपुर सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री शैलेश कुमार चौरसिया, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मणिपुर के रूप में कार्य करते हुए मणिपुर सरकार के

अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[फा. सं. 154/MR/2025-P.Admn]

आदेश से,

रितेश सिंह, सचिव

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2025

O.N. 24.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Manipur hereby designates Shri Shailesh Kumar Chourasia, IAS (MN:2007) as the Chief Electoral Officer for the State of Manipur with effect from the date he takes over charge and until further orders.

2. Shri Shailesh Kumar Chourasia shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Manipur, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Shailesh Kumar Chourasia while functioning as the Chief Electoral Officer, Manipur shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Manipur except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[F. No. 154/MR/2025-P.Admn]

By Order,

RITESH SINGH, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2025

आ.अ. 25.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के परामर्श से एतद्वारा श्री राहुल शर्मा, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.टी-2013), को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री राहुल शर्मा, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री राहुल शर्मा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में कार्य करते हुए लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको संघ राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[फा. सं. 154/Ladakh/2025-P.Admn]

आदेश से,

रितेश सिंह, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2025

O.N. 25.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Administration of the Union Territory of Ladakh hereby designates Sh. Rahul Sharma, IAS (AGMUT:2013) as the Chief Electoral Officer for the Union Territory of Ladakh with effect from the date he takes over charge and until further orders.

2. Shri Rahul Sharma shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Administration of Union Territory of Ladakh, which he may be holding before such assumption of office.
3. Shri Rahul Sharma while functioning as the Chief Electoral Officer, Ladakh shall not hold any additional charge whatsoever under the Administration of the Union Territory of Ladakh except that he should be designated Secretary to the Administration of the Union Territory of Ladakh in charge of Election Department in the Union Territory Secretariat.

[F. No. 154/Ladakh/2025-P.Admn]

By Order,

RITESH SINGH, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2025

आ.अ. 26.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग गोवा राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा श्री (डा.) संजय गोयल, आई.ए.एस (ए.जी.एम.यू.टी.:2004) को उनके कार्य भार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए गोवा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री (डा.) संजय गोयल, गोवा सरकार के अधीन सभी पद भार या किसी कार्य के पदभारो को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पद भार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री (डा.) संजय गोयल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गोवा के रूप में कार्य करते हुए गोवा सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[फा. सं. 154/GOA/2025-P.Admn]

आदेश से,

रितेश सिंह, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2025

O.N. 26.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Goa hereby designates Shri (Dr.) Sanjay Goel, IAS (AGMUT:2004) as the Chief Electoral Officer for the State of Goa with effect from the date he takes over charge and until further orders.

2. Shri (Dr.) Sanjay Goel shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Goa, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri (Dr.) Sanjay Goel while functioning as the Chief Electoral Officer, Goa shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Goa except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[F. No. 154/GOA/2025-P.Admn]

By Order,

RITESH SINGH, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2025

आ.अ. 27.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से एतद्वारा श्री गौरव सिंह राजावत, आई.ए.एस (ए.जी.एम.यू.टी.:2011) को उनके कार्य भार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री गौरव सिंह राजावत, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री गौरव सिंह राजावत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लक्षद्वीप के रूप में कार्य करते हुए लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[फा. सं. 154/LKD/2025-P.Admn]

आदेश से,

रितेश सिंह, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2025

O.N. 27.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Administration of Union Territory of Lakshadweep hereby designates Shri Gaurav Singh Rajawat, IAS (AGMUT:2011) as the Chief Electoral Officer for the Union Territory of Lakshadweep with effect from the date he takes over charge and until further orders.

2. Shri Gaurav Singh Rajawat shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Administration of Union Territory of Lakshadweep, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Gaurav Singh Rajawat while functioning as the Chief Electoral Officer, Lakshadweep shall not hold any additional charge whatsoever under the Administration of the Union Territory of Lakshadweep except that he should be designated Secretary to the Administration of the Union Territory of Lakshadweep in charge of Election Department in the Union Territory Secretariat.

[F. No. 154/LKD/2025-P.Admn]

By Order,

RITESH SINGH, Secy.